

# झारखण्ड विधान सभा

## कार्य सूची

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

(नवम्(मानसून)सत्र)

गुरुवार, तिथि

04 अगस्त, 2022 (ई०)

13 श्रावण, 1944 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

### प्रारम्भिक-कार्य

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उस पर सरकार का वक्तव्य :-

- (04)- सुश्री अम्बा प्रसाद, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
( दिनांक:-02-08-22 एवं 03-08-2022 स्थगित )
- (05)- सर्वश्री मथुरा प्रसाद महतो, रामदास सोरेन एवं श्री सुखराम उरौव, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ऊर्जा विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
( दिनांक:-03-08-2022 स्थगित )
- (06)- श्री उमाशंकर अकेला, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
( दिनांक:-03-08-2022 स्थगित )
- (07)- श्रीमती शिल्पी नेहा तिकी, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
( दिनांक:-03-08-2022 स्थगित )
- (08)- सर्वश्री संजीव सरदार, रामदास सोरेन एवं श्री मंगल कालिन्दी, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

कृ०पृ०३०./-

- (09)- श्री बसंत सोरेन,स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (10)- सर्वश्री राज सिन्हा, मनीष जायसवाल एवं श्री केदार हजरा, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (11)-श्री सुदेश कुमार महतो,स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (श्रम,नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (12)- श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स० श्री उमाशंकर अकेला,स०वि०स० एवं सुश्री अम्बा प्रसाद,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

- (13)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- (14)-प्रभारी मंत्री,वित्त, डॉ०रामेश्वर उरौंव, प्रस्ताव करेंगे कि "भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में 31मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का झारखण्ड राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित सामान्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व प्रक्षेत्रों का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, 31 मार्च,2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का झारखण्ड राज्य के राज्य वित्त से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का झारखण्ड में ग्रामीण विद्युतिकरण योजनाओं के कार्यान्वयन प्रतिवेदन जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है को सदन पटल पर रखता हूँ तथा इस क्रम में प्रभारी मंत्री,वित्त, डॉ०रामेश्वर उरौंव पुनः प्रस्ताव करेंगे कि विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उनपर लोक-लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।"
- (15)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (16)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

**-: विधायी कार्य :-**

**“कौशल विद्या उद्यमिता,डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक,2022”**

- (17)-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री,प्रस्ताव करेंगे कि “कौशल विद्या उद्यमिता, डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक,2022” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (18)-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (19)-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री,प्रस्ताव करेंगे कि “कौशल विद्या उद्यमिता, डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक,2022”पर विचार हो।
- (20)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री,प्रस्ताव करेंगे कि “कौशल विद्या उद्यमिता, डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक,2022” स्वीकृत हो।

**“अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक,2022”**

- (21)-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2022” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (22)-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (23)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री,प्रस्ताव करेंगे कि“अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2022” पर विचार हो।
- (24)- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री,प्रस्ताव करेंगे कि“अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2022” स्वीकृत हो।


**“झारखण्ड उत्पाद (संशोधन) विधेयक,2022”**

- (25)-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रभारी मंत्री,प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (26)-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रभारी मंत्री, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (27)-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रभारी मंत्री,प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022” पर विचार हो।


- (28)-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022" स्वीकृत हो।
- (29)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

सैयद जावेद हैदर  
प्रभारी सचिव,  
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०२२-<sup>2087</sup>...../वि०स०, राँची, दिनांक- 03/08/22  
प्रतिलिपि:-माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्य  
माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव  
महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त वि०  
के प्रधान सचिव/सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
03/08/2022  
(हरेन्द्र कुमार साह)  
उप सचिव,  
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०२२-<sup>2087</sup>...../वि०स०, राँची, दिनांक- 03/08/22  
प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्य  
को कभः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचना एवं प्रेषित।

  
03/08/2022  
उप सचिव  
झारखण्ड विधान सभा, राँची

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०२२-<sup>2087</sup>...../वि०स०, राँची, दिनांक- 03/08/22  
प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाइट शा  
पुस्तकालय शाखा, जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचना  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गोपी,

  
03/08/2022  
उप सचिव  
झारखण्ड विधान सभा, राँची

१  
१  
१  
०३/०८